



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की
चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए
कॉन्फ्रेंस कॉल
25 मई, 2018



प्रबंधन : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की टीम

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - श्री राजीव शर्मा | - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| - श्री डी रवि | - निदेशक (वाणिज्यिक) |
| - श्री सी गंगोपाध्याय | - निदेशक (परियोजना) |
| - श्री एन बी गुप्ता | - निदेशक (वित्त) |

संचालक : श्री कुणाल शाह - एडेलवीस सिक्यूरिटीज लिमिटेड

संचालक :

देवियो और सज्जनो, मैं वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में की गई अर्निंग पर चर्चा करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत करता हूँ जिसकी मेजबानी एडेलवीस सिक्यूरिटीज लिमिटेड कर रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सभी सहभागियों की लाइनें केवल सुनने के मोड (लिसेन मोड) में रहेंगी। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। यदि कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो अपने टचटोन फोन पर पहले स्टार (*) दबाएं और उसके बाद शून्य (0) दबाकर ऑपरेटर को संकेत दें। कृपया ध्यान दें कि इस सम्मेलन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब मैं सम्मेलन का संचालन एडेलवीस सिक्यूरिटीज लिमिटेड के श्री कुणाल शाह को सौंपता हूँ। आपका धन्यवाद और महोदय अब आप संचालन करें।

कुणाल शाह :

धन्यवाद अली और आप सभी को मेरा नमस्कार। एडलेवीस सिक्यूरिटीज लिमिटेड से मैं कुणाल शाह। आज हमारे साथ पीएफसी के श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त), श्री डी रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) और सी. गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजना) मौजूद हैं जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के परिणामों पर विचार-विमर्श करेंगे। महोदय अब आप संचालन करें।

राजीव शर्मा :

धन्यवाद कुणाल, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने यह कॉन्फ्रेंस कॉल इसलिए बुलाई है कि आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के नए परिपत्र के संदर्भ में हम पीएफसी के वित्तीय वर्ष 2017-2018 के कार्य-निष्पादन और पीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर अपने विचार आपसे साझा कर सकें।

सबसे पहले, मैं पीएफसी के कार्य-निष्पादन के संबंध में कुछ मुख्य उपलब्धियां साझा करना चाहता हूँ। व्यापार वृद्धि की दृष्टि से हमने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14% की सुदृढ़ ऋण वृद्धि दर्शाई है क्योंकि ऋण परिसंपत्तियाँ 2,45,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,79,000 करोड़ रुपए हो गई है। यह मजबूत ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 64,400 करोड़ रुपए के उच्च संवितरण के कारण संभव हुई थी। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में पिछले वर्ष 6,900 करोड़ रुपए के मुकाबले 13,750 करोड़ रुपए के साथ ऋण पुनर्वित्तपोषण में 100% की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संवितरण सुदृढ़ हुआ है। इससे हमारे प्रारंभ किए गए ऋण परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमने 9,000 करोड़ रुपए के नवीकरणीय व्यापार में पिछले वर्ष के 2,500 करोड़ रुपए के मुकाबले 260% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी।

अपनी पूर्ववर्ती कॉन्फ्रेंस कॉलों में मैंने इंगित किया था कि हम ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने का प्रयास कर रहे थे। तदनुसार, दिसंबर 2017 में ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त, दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान हमने सिंडिकेटेड ऋण के माध्यम से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। हमने दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफसीएनआर (बी) ऋण जुटाए। हमने एलआईसी के साथ प्रतिस्पर्धी दर पर स्ट्रक्चर्ड (संरचित) डील के माध्यम से 5,000 करोड़ रूपए भी जुटाए। इसके अलावा, हमने मार्च 2018 में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा विदेशी व्यावसायिक ऋणों का पुनर्वित्तपोषण भी किया और पीएफसी के लिए प्रभावी ब्याज की लागत को कम किया। इसके अतिरिक्त, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और मौजूदा ई सी बी का पुनर्वित्तपोषण अंतिम चरण में है और ब्याज की घटी हुई दर जून 2018 से लागू होगी। 43,668 मिलियन जापानी येन (जेपीवाई) की मौजूदा ई सी बी के पुनर्मूल्यन पर भी विचार किया जा रहा है। लागत में और कमी के लिए हम नियमित आधार पर 54 ई सी बॉण्ड्स के माध्यम से निधियाँ जुटा रहे हैं, जो 5.75% के कूपन पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा रहा है। हमारे ऋणों में विविधता लाने और लागत में कमी के उपायों के आधार पर हमारी निधियों की औसत लागत 23 बेसिस पॉइंट कम होकर 8.41% से 8.18% रह गई। हमारी पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई की 15% की जरूरत के मुकाबले 20% के पर्याप्त स्तर पर है।

लाभ की दृष्टि से, हमें पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 2,126 करोड़ रूपए के मुकाबले 175% की वृद्धि के साथ 5,855 करोड़ रूपए का लाभ हुआ है। इस वर्ष के लिए हमारा स्प्रेड 2.77% है। हमने प्रतिस्पर्धी दबाव और शुरू की गई अधिक से अधिक परिसंपत्तियाँ जुटाने के अपने प्रयासों के कारण स्प्रेड में गिरावट देखी है, जिससे स्प्रेड कम हुआ है। तथापि, हम बढ़े हुए व्यापार से लाभप्रदता बनाए रखने की आशा करते हैं।

परिसंपत्तियों के अपग्रेडेशन संबंधी प्रावधान व्युत्क्रमण के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 का लाभ काफी सकारात्मक रहा और यह पूर्ववर्ती कॉन्फ्रेंस कॉलों में आपके साथ साझा किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। तथापि दूसरी ओर सावधानी के तौर पर आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र के लागू होने के कारण, हालांकि यह हम पर लागू नहीं था, अतिरिक्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप, हमारे लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह प्रतिकूल प्रभाव अतिरिक्त प्रावधानों और आय व्युत्क्रमण के कारण हुआ था। इस सब और किए गए सामान्य प्रावधानों के आधार पर हमारा लाभ 5,855 करोड़ रूपए रहा।

मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पीएफसी जैसी एनबीएफसी पर लागू न होने के बावजूद हमने आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र को लागू क्यों किया। हम अपनी अधिकतर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बैंकों के साथ कंसोर्शियम ऋणदाता हैं, हमने अपने कंसोर्शियम ऋणदाताओं के साथ मिलकर कार्य किया है और आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र को लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त एनपीए की घोषणा की गई और चौथी तिमाही में उनसे संबंधित प्रावधान किया गया, इसलिए हमने चौथी तिमाही के लाभ में गिरावट देखी है। आरबीआई परिपत्र लागू करने से चौथी तिमाही में 6 अतिरिक्त एनपीए की घोषणा की गई, जिनका मूल्य लगभग 12,000 करोड़ रूपए था। इसके साथ, वर्ष के लिए एनपीए अनुपात इस प्रकार हैं -

- आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के साथ सकल एनपीए 9.57% और आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र को लागू किए बिना - 5.28%, जो पिछले वर्ष के 12.5% से बेहतर है।
- आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के साथ निवल एनपीए - 7.39% और आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र को लागू किए बिना -3.52%, जो पिछले वर्ष के 10.32%, से बेहतर है।

आरबीआई परिपत्र से हमारे निवल एनपीए में 3.87% की वृद्धि हुई। अन्यथा आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र के बिना हमारे वास्तविक निवल एनपीए केवल 3.52% ही हैं, जिनमें से 1.60% सरकारी क्षेत्र से और शेष 1.92% निजी क्षेत्र से संबंधित है।

अब मैं अपनी ऋण परिसंपत्ति बही के बारे में बताता हूँ। हमारा कुल ऋण परिसंपत्ति पोर्टफोलियो 2,79,000 करोड़ रूपए हैं, जिसमें से सरकारी क्षेत्र के ऋण 2,28,000 करोड़ रूपए अर्थात् 82% ही हैं और निजी क्षेत्र के ऋण 51,000 करोड़ रूपए के अर्थात् 18% हैं।

2,28,000 करोड़ रूपए की सरकारी ऋण बही के संबंध में सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ता नियमित रूप से देय राशि चुका रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के संबंध में किसी दबाव की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं। 4,600 करोड़ रूपए के व्युत्क्रमण के साथ वित्तीय वर्ष 2018-2019 तक सरकारी एनपीए लगभग शून्य रह जाएंगे।

लगभग 51,000 करोड़ रूपए के निजी क्षेत्र के एक्सपोजर के मामले में, निजी क्षेत्र के 20,000 करोड़ रूपए ऋण, जो ऋण बही का 7% है और नियमित रूप से अपनी देय राशि चुका रहे हैं और हमें कोई दबाव नहीं दिखाई देता है।

इसलिए, कुल ऋण परिसंपत्ति बही के 89% में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।

30,750 करोड़ रूपए की शेष निजी ऋण परिसंपत्तियां दबावग्रस्त हैं जिसके लिए 9,524 करोड़ रूपए का प्रावधान पहले से ही मौजूद है अर्थात् 31% का प्रावधान किया गया है।

अब मैं कुछ मुख्य दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए चलाए जा रहे पुनरुद्धार उपायों को आपसे साझा करूंगा जैसा कि हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्तुतिकरण में सभी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए पुनरुद्धार उपायों में पहले ही साझा कर चुके हैं :-

- जी वी के रातले जल-विद्युत परियोजना, जिसमें पीएफसी का एक्सपोजर 817 करोड़ रूपए का है। ऋणकर्ता ने एकबारगी निपटान के लिए सहमति दे दी है और उसने किशतों में भुगतान करना भी शुरू कर दिया है और फिलहाल हम निपटान करार को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।
- डीएनएस एनर्जी और शिगा एनर्जी सिक्किम में जल-विद्युत परियोजनाएं हैं जिसमें पीएफसी का कुल एक्सपोजर 1000 करोड़ रूपए का है। इन परियोजनाओं के लिए हरियाणा डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शीघ्र ही ये विद्युत आपूर्ति शुरू कर देंगे। इसलिए इन परियोजनाओं की दबाव से बाहर आने की संभावना है।
- साउथ ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन परियोजना, जिसमें पीएफसी का एक्सपोजर 2,476 करोड़ रूपए का है, इस परियोजना के अधिग्रहण (टेकओवर) के लिए यूपीपीटीसीएल (यू पी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ बातचीत की जा रही है। हम इसमें ज्यादा कटौती की उम्मीद नहीं करते हैं।
- रत्नइंडिया नासिक परियोजना में, पीएफसी का एक्सपोजर 3,000 करोड़ रूपए का है। हम इस परियोजना के अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

प्रबंधन में परिवर्तन के लिए चार मुख्य थर्मल पावर परियोजना पहले से ही बोली प्रक्रिया में है, जिसमें पीएफसी का एक्सपोजर 6,300 करोड़ रूपए का है। ये परियोजनाएं हैं:-

- जीएमआर छत्तीसगढ़ - जहां पाँच बोलीदाताओं ने पहले ही नॉन-बाइंडिंग ऑफर प्रस्तुत कर दिये थे। बाइंडिंग ऑफर दस्तावेज़ आज जारी किए जाएंगे।
- के एस के महानदी - जिसमें 15 अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई और उसमें 13 ने अर्हता प्राप्त की और अब बोली के लिए आरएफपी जारी की जानी है।
- एस्सार-माहन - जिसमें अभिरुचि की अभिव्यक्ति एक सप्ताह की अवधि में जारी की जाएगी।
- झाबुआ पावर जिसमें अभिरुचि की अभिव्यक्ति 15 मई 2018 को जारी की गई थी, आज प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है।
- 5000 करोड़ रुपए के एक्सपोजर के साथ आरकेएम पावरजेन थर्मल परियोजना। ऋणकर्ताओं ने पुनर्संचित योजना प्रस्तुत की, जिस पर ऋणदाताओं की बैठक में चर्चा की गई थी। हमें उम्मीद है कि जून 2018 के अंत तक पुनर्संचना की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
- 8,100 करोड़ रुपए के एक्सपोजर वाली नौ परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है। ये परियोजनाएं समाधान के विभिन्न चरणों में हैं।

अब मैं बढ़ते हुए व्यापार के बारे में आपसे अपने विचार साझा करना चाहूँगा।

- हमने राज्य विद्युत संस्थाओं के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हमारा ध्यान हमारे परिसंपत्ति बेस में शुरू की गई और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए पुनर्वित्तपोषण व्यापार पर रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार भी हमारा मुख्य क्षेत्र होगा। हमारा 64,000 करोड़ रुपए का उच्च संवितरण स्तर परिवर्तनों का परिचायक है जो हमने अपनी नीतियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं में किए हैं।
- हम व्यापार में अपनी पकड़ बनाने के लिए बेहतर बाजार प्रस्तावों के अनुकूल कार्य करना जारी रखेंगे।
- हम अपनी निधियों की लागत कम करने के लिए ऋणों में विविधता लाने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद, देवियो और सज्जनो, अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आईडीएफ़सी सिक्यूरिटीज के माहरुख अदजानिया की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

माहरुख अदजानिया : नमस्कार महोदय, मुझे केवल ललितपुर विद्युत परियोजना की स्थिति के बारे में जानना था।

राजीव शर्मा : हम ललितपुर में ऋणदाता नहीं हैं।

माहरुख अदजानिया : मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना के अधिग्रहण के लिए विचार विमर्श कर रही है, क्या इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का कोई पूर्व उदाहरण है, क्या ऐसा होता है?

राजीव शर्मा : ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, परंतु महाराष्ट्र के प्रधान सचिव, विद्युत द्वारा एक समिति गठित की गई है। मैं भी समिति की बैठक में था। इस कार्यदल की दो बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए एसबीआईकैप और तकनीकी संबंधी कार्यों के लिए एनटीपीसी को नियुक्त कर दिया है। नासिक परियोजना के आस-पास महाराष्ट्र जेनको की एक एकलाहरे परियोजना है, जो 37 वर्ष पुरानी है और वे उस परियोजना को हटाने जा रहे हैं। और नासिक एक लोड सेंटर है इसलिए उन्हें परियोजना की आवश्यकता है। यदि उन्हें नई ग्रीनफील्ड परियोजना की जगह सस्ती परियोजना मिलती है तो यह राज्य सरकार के लिए अच्छा है।

माहरुख अदजानिया : महोदय, इन सभी परियोजनाओं में जहां बोली प्रक्रिया जारी है और यहां तक कि रत्तनइंडिया में परियोजना अधिग्रहण की प्रक्रिया में तब मोटे तौर पर कितनी कटौती होगी?

राजीव शर्मा : यह बताना बहुत मुश्किल है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, परंतु कटौती निश्चित रूप से होगी। यह परियोजना की स्थिति के आधार पर परियोजना- परियोजना पर निर्भर करेगा।

माहरुख अदजानिया : समझ गया महोदय, आपका धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद, अगला प्रश्न क्रांटम सिक्यूरिटीज के अमित राणे की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

- अमित राणे :** इस अवसर के लिए धन्यवाद। महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि स्लिपेज के कारण वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2018 की चौथी तिमाही के लिए कितना ब्याज व्युत्क्रमण है?
- एन.बी. गुप्ता :** चौथी तिमाही में शुरुआती अवधि के लिए हमने 265 करोड़ रूपए का व्युत्क्रमण किया है। हम वर्ष के संबंध में फिर से आपको बताएंगे।
- अमित राणे :** ठीक है महोदय, एक और प्रश्न है अर्निंग परिसंपत्तियों की प्राप्ति के संबंध में है। यह 64 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ गया है, इसलिए आगे बढ़ते हुए हम वर्तमान 10.96% से इस संख्या को कहां देखते हैं?
- राजीव शर्मा :** हम इसे बनाए रखने में समर्थ रहेंगे।
- अमित राणे :** बिल्कुल महोदय, आपका धन्यवाद।
- संचालक :** धन्यवाद, अगला प्रश्न शुभकाम वेंचर से संगम अय्यर की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।
- संगम अय्यर :** इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद। महोदय मैं केवल ये जानना चाहता था कि आपने बताया कि आपने पुनर्वित्तपोषण और अन्य चीजों के लिए 60,000 करोड़ रूपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कृपया आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम अगले वित्तीय वर्ष में संवितरण और ऋण बही वृद्धि में कैसी उम्मीद कर रहे हैं?
- राजीव शर्मा :** इस वर्ष हमने 64,400 करोड़ रूपए का संवितरण किया है, इसलिए यह निश्चित तौर पर पहले से अधिक होगा।
- संगम अय्यर :** क्योंकि पिछली बार नवंबर-दिसंबर में आयोजित कॉल में ऋण बही में 10% की वृद्धि इंगित की थी, हमने ऋण बही वृद्धि के मामले में काफी अच्छा कार्य किया है इसलिए क्या हम इस वर्ष भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं, मैं जो समझने की प्रयास कर रहा हूँ कि क्या हम वापस लौट रही ट्रेजेक्टरी वृद्धि की दिशा की ओर अग्रसर हैं?
- राजीव शर्मा :** ऋण वृद्धि 10% से 15% के बीच रहेगी क्योंकि यह इस वर्ष 14% है।
- संगम अय्यर :** ठीक है महोदय, इसलिए क्या यह इस वर्ष के समान होनी चाहिए?
- राजीव शर्मा :** हम इसे 10% से 15% के बीच बनाए रखने में समर्थ रहेंगे।

संगम अय्यर : महोदय, यदि आप प्रावधान आवश्यकता पर नजर डालें तो समग्र प्रावधान को किस प्रकार देखेंगे जब अतिरिक्त दबावग्रस्त निजी क्षेत्र का पता लगा लिया गया हो ?

राजीव शर्मा : हमने निम्नलिखित दो परियोजनाओं को छोड़कर लगभग सभी दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए हैं-

आरकेएम पावरजेन; इस परियोजना पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, परंतु हम एक प्रावधान करने जा रहे हैं और हमने इसे एनपीए घोषित नहीं किया है और दूसरी परियोजना यूपी- साउथ ईस्ट ट्रांसमिशन है। इन दोनों परियोजनाओं को छोड़कर, हमने सभी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए पहले ही प्रावधान किए हैं और दिनांक 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के अनुसार एनपीए भी घोषित कर दिया है। यद्यपि यह परिपत्र हम पर लागू नहीं होता, इसलिए यह बहुत ही सावधानी का कार्य है जिसे हम कर रहे हैं।

संगम अय्यर : ठीक है महोदय, हमारे लिए समग्र प्रावधान को किस प्रकार देखा जाए क्योंकि हमने इस वर्ष चिन्हित किए जा रहे एनपीए के संबंध में काफी मेहनत की है, प्रावधान भी किए जा रहे हैं जिसमें कुछ सीमा तक पुनर्गठित व्युत्क्रमण से कुछ सहायता मिलती है, तो किस प्रकार प्रावधान पर विचार किया जाएगा?

राजीव शर्मा : दबावग्रस्त परिसंपत्तियों पर हमने पहले ही 31% का प्रावधान किया है और यदि आप देखें तो हम अगले वर्ष प्रावधान का लगभग 1000 करोड़ रुपए का व्युत्क्रमण प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो भी परियोजना शुरू की जाएगी, वह एनपीए अथवा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से बाहर होगी, अतः इस 1000 करोड़ रुपए की राशि से 3% या 4% का कुशन आएगा और लगभग 35% से 36% तक का प्रावधान पहले ही उपलब्ध है। हमें यह नहीं लगता कि आने वाले वर्षों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की जरूरत होगी।

संगम अय्यर : तो क्या अगले वर्ष के लिए लगभग 300 से 400 करोड़ रूपए तक की निवल राशि की उम्मीद की जा सकती है?

राजीव शर्मा : इस समय ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई मामलों में हम एनसीएलटी में गए हैं। यह उसके निर्णय पर निर्भर करेगा।

संगम अय्यर : जैसा कि हमने कमेंटरी में इंगित किया है कि अपेक्षित कटौती किए गए प्रावधान की सीमा तक होगी, अतः मैं केवल इसे समझने की कोशिश कर रहा था।

राजीव शर्मा : यह विभिन्न परियोजनाओं की लिए निर्धारित किए जा रहे समाधान पर निर्भर करता है। इस समय पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी कटौती होगी।

सी.गंगोपाध्याय : अब हम आरबीआई के मानदंड लागू करने की प्रक्रिया में हैं जो फरवरी में आए थे और उसके अनुसार समाधान के लिए 180 दिन का समय उपलब्ध है और एस न होने पर यह एनसीएलटी में चला जाएगा। हम अब चार से पांच परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया में है एवं कुछ और परियोजनाओं की हम कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले दो महीनों में इसके बारे में हमें पता लगेगा कि पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होगी और अगस्त के अंत तक हमें यह भी ज्ञात होगा कि हम कितनी परियोजनाओं का समाधान कर सकेंगे और तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे, परंतु आज कुछ भी कहना मुश्किल होगा।

राजीव शर्मा : हम इन सभी चार से पांच परियोजनाओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं ताकि ये परियोजनाएं एनसीएलटी में न जाएं।

संगम अय्यर : मैं समझ गया महोदय। मेरा एक और प्रश्न है महोदय। हमारे लिए ऋण देने की लागत के लिए लाभ में वृद्धि को देखते हुए क्या इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई लागत को हस्तांतरित करना कितना आसान होगा ?

राजीव शर्मा : जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वर्ष के दौरान, हम अपनी निधियों की लागत को कम करने में सफल रहे हैं।

एन.बी.गुप्ता : यदि ऋण लागत बढ़ती है तो हम निश्चित रूप से हम अपनी दरों को भी बढ़ाएंगे।

संगम अय्यर : क्योंकि रुपए की कीमत का गिरना भी एक चिंता का विषय है इसलिए हमने कुल ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को 4% से 8% तक बढ़ने दिया है?

राजीव शर्मा : हमने 60% से अधिक मूलधन की वसूली कर ली है।

संगम अय्यर : महोदय, वर्तमान स्थिति में ऋण बहियों का कितना % फ्लोट होगा या सब कुछ फ्लोट किया जा रहा है?

एन.बी.गुप्ता : क्या आप विदेशी मुद्रा ऋण की बात कर रहे हैं?

संगम अय्यर : नहीं आपकी ऋण बही के बारे में ।

- एन.बी.गुप्ता :** ऋण बही के लिए हमारे पास तीन वर्ष के बाद का पुनर्निर्धारण (रीसेट) है। कई मामलों में, केवल तीन वर्षों के बाद ही रीसेट होता है।
- संगम अय्यर :** अगला रीसेट कब होगा और लाभ के रूप में ऋण बही का कितना % रीसेट के तौर पर है?
- राजीव शर्मा :** हम इस विषय पर आपसे फिर बात करेंगे। हमें देखना पड़ेगा।
- संगम अय्यर :** आपको शुभकमनाएं महोदय।
- संचालक :** धन्यवाद। अगला प्रश्न बी एवं के सिक्यूरिटीज से बंटी चावला की ओर से। कृपया प्रश्न पूछें।
- बंटी चावला :** धन्यवाद महोदय। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। एक समाचार-लेख के अनुसार पीएफसी की करीब 14,000 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाएं दिवालिया हो सकती हैं जिसमें से 3000 पहले ही एनपीए हैं और उन्हें एनसीएलटी में भेजा जा चुका है, बचे हुए करीब 20,000 करोड़ रूपए में से करीब 10,000 मेगावाट के बारे में आप कुछ बताएँगे कि क्या वे निजी परियोजनाएं हैं अथवा पहले से ही एनपीए हैं? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे?
- राजीव शर्मा :** मोटे तौर पर, 5,975 मेगावाट और 8,126 करोड़ रूपए की परियोजना है। करीब नौ परियोजनाएं हैं जो कि पहले ही एनसीएलटी में लंबित हैं, या तो उन्हें एनसीएलटी में मंजूरी दी जा चुकी है अथवा उन्हें फाइल किया जा रहा है।
- बंटी चावला :** वर्तमान में एनसीएलटी में लंबित 8,126 करोड़ रूपए हमारी बहियों में एनपीए है या हमारी बहियों में पुनर्गठन के रूप में है?
- राजीव शर्मा :** ये पहले से ही एनपीए हैं।
- बंटी चावला :** पहले ही एनपीए हैं और बाकी?
- राजीव शर्मा :** 8,126 करोड़ रूपए के एनसीएलटी ऋण के लिए पहले ही 38% का प्रावधान है। 3,052 करोड़ रूपए पहले ही प्रदान किए गए हैं।

बंटी चावला : महोदय, एक और बात। वर्तमान में 20,000 करोड़ रुपए एक्सपोजर के मानक निजी परियोजनाओं में क्या कोई एनपीए होने अथवा उनका पुनर्गठित होने की संभावना है। इस समय की स्थिति क्या है?

राजीव शर्मा : वे हमारी ऋण बही का लगभग 7% है और वे नियमित भुगतान कर रहे हैं। उनमें से बहुत परियोजनाएं शुरू की गई हैं और हमने उनका पुनर्वित्तपोषण भी किया है और उनमें से कुछ आईपीपी हैं जिनके कई अच्छे पीपीए हैं और समय पर पुनर्भुगतान कर रहे हैं।

बंटी चावला : मेरा अंतिम प्रश्न है कि यदि आप देखें तो इस तिमाही में संवितरण की संख्या लगभग 26,000 करोड़ रुपए थी जिसमें से निजी क्षेत्र के लिए काफी मात्रा में संख्या थी, जो कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए है तो क्या आप उसके ऋणकर्ताओं, अथवा उसकी स्थिति या उन 7,000 करोड़ रुपए पर कोई प्रकाश डालेंगे?

राजीव शर्मा : दरअसल, इस समय नवीकरणीय पुनर्वित्तपोषण में काफी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पिछले साल हमने नवीकरण क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपए संवितरित किए और इस बार लगभग 9,000 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है। नवीकरणीय क्षेत्र में कई परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण किया गया है अर्थात् वे पहले ही शुरू किए गए हैं और उनसे कोई जोखिम नहीं है, उनका समय पर भुगतान किया जा रहा है, उनको भुगतान दिया जा रहा है, उनके पास सभी पीपीए हैं, इसलिए जोखिम बहुत ही कम है।

बंटी चावला : धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न कोटक एसेट मनेजमेंट से रुकुन ताराचंदानी की ओर से। कृपया प्रश्न पूछें।

रुकुन ताराचंदानी : आपने बताया कि चार या पांच परियोजनाएं हैं जो एनसीएलटी में लंबित नहीं हैं और आपके पास 180 दिन की अवधि है जिसमें आप समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इन चार या पांच परियोजनाओं की कुल बकाया राशि कितनी है?

राजीव शर्मा : एक जीएमआर छत्तीसगढ़ (2x685 मेगावाट) है जहां पांच बोलीदाताओं ने नॉन-बाइडिंग ऑफर पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। दूसरी केएसके महानदी है और हमारा एक्सपोजर 33000 करोड़ रुपए है। एक और परियोजना एस्सार माहन है जहां एक

सप्ताह के भीतर ईओआई को जारी कर दिया जाएगा और हमारा एक्सपोजर 1,300 करोड़ रुपए है। एक और परियोजना झाबुआ पावर है जहां दिनांक 15 मई, 2018 को ईओआई जारी किया गया था और आज आवेदन की अंतिम तारीख है और हमारा एक्सपोजर 764 करोड़ रुपए है।

रुकुन ताराचंदानी : मैं समझ गया, तो क्या यह चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए वर्तमान में आप समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं?

राजीव शर्मा : आरकेएम पावरजेन भी इसमें शामिल है।

रुकुन ताराचंदानी : क्या आप मोटे तौर पर बता सकेंगे कि इसके लिए एक संघीय प्रावधान क्या होगा क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि यदि आने वाले तिमाहियों में हमारे अनुसार स्थिति नहीं बनती है तो किस तरह के वार्षिक प्रावधान की जरूरत पड़ेगी?

राजीव शर्मा : यह सभी परियोजनाएं पहले से ही एनपीए हैं। हमने पहले ही 31% का प्रावधान किया है, परंतु यह कहना मुश्किल होगा कि हम इसका समाधान कर पाएंगे या नहीं। इनके एनसीएलटी में जाने पर क्या होगा। इस समय अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त, यदि हम डेवलपर में परिवर्तन करके सुलझा सकें तब प्रावधान का व्युत्क्रमण हो जाएगा। इसके अलावा केएसके महानदी जैसी अच्छी परियोजनाएं भी हैं। इसके पास चार यूनिटों के लिए पीपीए भी है। झाबुआ ऊर्जा के पास 71% क्षमता के पीपीए है, इसलिए ये सब अच्छी परियोजनाएं हैं।

रुकुन ताराचंदानी : मैं समझ गया और क्या अब आप मार्जिन ट्रेजिक्टरी, एनआईएम, के बारे में कुछ बता सकेंगे? इसके आगे, अगले वर्ष के लिए आपकी क्या अपेक्षा है?

एन.बी.गुप्ता : हम आशा करते हैं कि हम एनआईएम के वर्तमान स्तर को बनाए रखने की स्थिति में होंगे। इस वर्ष यह 2.77% था।

रुकुन ताराचंदानी : ब्याज स्प्रेड 2.77% था।

एन.बी.गुप्ता : एनआईएम 3.76% था। हम आशा करते हैं कि हम इस वर्ष भी इसको बनाए रखने की स्थिति में हैं।

रुकुन ताराचंदानी : जी बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न एंकायर्स सिक्यूरिटीज से रोहन मंडोरा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

रोहन मंडोरा : महोदय अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद । महोदय क्या आप तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र में 8,690 करोड़ रुपए से 21,687 करोड़ रुपए के सकल एनपीए के संचालन को समझने में मेरी मदद करेंगे, आरबीआई के कारण कितना आया है और पुनर्गठित खातों, जो दिसंबर तक पहले ही किए जा चुके थे, से कितना स्लिप हो सकता है और इन दोनों से अलग कितना आया है?

राजीव शर्मा : दिनांक 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के कारण हमने छह परियोजनाएं, केएसके एनर्जी, झाबुआ पावर, रत्नइंडिया अमरावती परियोजना, रत्नइंडिया नाशिक परियोजना, लेंको अमरकंटक, डैस एनर्जी, को एनपीए घोषित कर दिया है। इसी कारण हमारा सकल एनपीए बढ़कर 9.57% हो गया है जो आरबीआई परिपत्र के बिना 5.28% था और इन छह परियोजनाओं के लिए कुल कीमत 12,000 करोड़ रुपए है और प्रावधान का 950 करोड़ रुपए है।

रोहन मंडोरा : बिल्कुल महोदय। 12,000 करोड़ रुपए परिपत्र के कारण आए और इसके अलावा 8,000 करोड़ तथा 12,000 करोड़ जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और 1,000 करोड़ रुपए का अब भी अंतर है और क्या यह स्थिति किसी पुनर्गठन के बाहर सामान्य स्लिपेज है?

राजीव शर्मा : जीएमआर परियोजना जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की है।

एन.बी.गुप्ता : एक और ईस्ट कोस्ट से है जो 12,000 करोड़ रुपए की है वित्तीय वर्ष 2017-18 तिमाही में ईस्ट कोस्ट एनपीए बना था)।

रोहन मंडोरा : अच्छा तो हमारी बहियों में यह दोनों मानक हैं और जिनका तिमाही के दौरान हमने अवनयन किया था। बिल्कुल महोदय, मेरे बस यही प्रश्न थे।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न केएम वेसरिया फैमिली ट्रस्ट से गिरीराज डगा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

गिरिराज डगा : मैं यह समझना चाहता हूँ कि यदि हम पूर्ण सुरक्षित परियोजना की ओर जाना चाहते हैं तो हमें वार्षिक (इंफ्लेशन) संवितरण के लिए कितनी वार्षिक दरें मिल रही हैं? वर्तमान में हमें कितनी दरें मिल रही हैं?

राजीव शर्मा : पुनर्वित्तपोषण 9.6% से 11% तक है जो कि परियोजना पर निर्भर करता है। औसत लगभग 10.25% और 10.3% है।

गिरिराज डगा : 10.25%। महोदय क्या हम यह कह सकते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि वार्षिक स्प्रेड संकुचित हो रहे हैं क्योंकि हमारी वार्षिक दरें लगभग 10.25% हैं जबकि मौजूदा लाभ लगभग 10.7% है?

एन.बी.गुप्ता : इसकी लागत 8.7% है, और यदि आप मार्च के माह में देखें, तो इसकी लागत केवल 8% थी। तो हमें इस 10.0% की केवल 8% के साथ ही तुलना करनी चाहिए।

गिरिराज डगा : जी बिल्कुल, तो हम 2.4% स्प्रेड को बनाए रखने की अपेक्षा कर सकते हैं?

राजीव शर्मा : जी हाँ।

गिरिराज डगा : मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न पैराडाइज मर्चेन्ट प्राइवेट लिमिटेड से सुधांशु टोटला की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

सुधांशु टोटला : धन्यवाद महोदय। आपके परिणाम तो अच्छे हैं परंतु बाज़ार में विश्वसनीयता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आप 22 रुपए का ईपीएस एवं 7.80 पैसे का लाभांश दिखा रहे हैं और मैं भी यह मानता हूँ कि पी/ई के अनुसार यह सबसे कम है, ऐसा क्यों?

राजीव शर्मा : महोदय, आप भी निवेशकों में से एक हैं तो आप भी उन्हें समझाने की कोशिश करें। इस बात से मुझे भी दुःख होता है कि इतने अच्छे परिणामों के बावजूद बाज़ार में विश्वसनीयता नहीं दिख रही है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी एक सरकारी कंपनी है। मेरे पास सीमित संसाधन हैं और मेरा निवेशकों के साथ सीमित संपर्क है।

सुधांशु टोटला : परंतु, ऐसा लगता है कि विश्वसनीयता में कुछ कमी है, उनको आपके एनपीए के आंकड़ों अथवा पुनर्गठन आदि पर भरोसा नहीं है?

राजीव शर्मा : हम बिल्कुल पारदर्शी हैं; इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपके साथ सब कुछ साझा कर रहा हूँ। इस बार हमने प्रत्येक बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है ताकि किसी कोई भी अस्पष्टता न हो और आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वित्तीय टीम हमेशा तैयार है। हम एक सरकारी कंपनी है तो हम कैसे कुछ छुपा अथवा गुप्त रख सकते हैं।

एन.बी.गुप्ता : आप हमारे प्रस्तुतिकरण को देख सकते हैं जिसे हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। हमने प्रत्येक परियोजना की स्थिति दर्शाई है।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न आईडीएफ़सी सिक्वैरिटीज से माहरुख अदजानिया की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

माहरुख अदजानिया : महोदय, मैं जीएमआर परियोजना के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो तिमाही में स्लिप हुई थी, वह क्या थी?

राजीव शर्मा : वास्तव में, जीएमआर छत्तीसगढ़ में एसडीआर लाए गए थे और जनवरी में उसे 18 महीने पूरे हो गए इसलिए 29 जनवरी, 2018 को वह एनपीए बन गया।

माहरुख अदजानिया : जी बिल्कुल/ठीक

राजीव शर्मा : अब वह बोली प्रक्रिया में है।

माहरुख अदजानिया : ठीक। धन्यवाद महोदय।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफ़सी म्यूचुअल फंड से प्रशांत जैन की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

प्रशांत जैन : महोदय मेरा प्रश्न है कि ऋण के निपटान में क्या अंतर है अर्थात एनसीएलटी के बाहर और एनसीएलटी में एनपीए समाधान प्रक्रिया में क्या अंतर है और इनके दो, तीन मुख्य अंतर क्या हैं?

राजीव शर्मा : एनसीएलटी में जाने से पहले हम इन एनपीए का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। केएसके एनर्जी, झाबुआ पावर जैसी कई अच्छी परियोजनाएं हैं। केएसके, जिनके पास चार यूनिटों के लिए पीपीए है, जीएमआर छत्तीसगढ़ भी एक अच्छी परियोजना है

क्योंकि यह शुरू हो गई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, कोई कामचलाऊ यूनिट नहीं और यह आज भी प्रचालन में है। इसलिए हमारा मानना है कि एनसीएलटी में जाने से पहले यदि हम इसका समाधान कर लेते हैं तो कम कटौती होगी। हम इन चार पांच परियोजनाओं अर्थात् आरकेएम, केएसके एनर्जी, झाबुआ, जीएमआर छत्तीसगढ़ का एनसीएलटी से पहले समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 31 अगस्त, 2018 के बाद यह सभी परियोजनाएं एनसीएलटी में भेजी जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम अपने सभी ऋणदाताओं के साथ मिलकर इन परियोजनाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

प्रशांत जैन : मैं इसकी सराहना करता हूँ और समझता भी हूँ लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि एनसीएलटी के बाहर और एनसीएलटी में समाधान प्रक्रिया में क्या अंतर है? मेरे कहने का मतलब है कि यदि एक असफल है तो दूसरे का सफल होना जरूरी है?

सी.गंगोपाध्याय : आप देखिए कि वास्तव में यह समाधान के विभिन्न चरणों में है। चरण-I में ऋणदाता कंसोर्शियम के भीतर ही सुलझाने का प्रयत्न करते हैं जहां सफल होने की ज्यादा संभावना होती है और जो कटौती के मामले में अधिक लाभकारी हो सकती है। इसलिए यदि चरण-I सफल होता है तो यह एनसीएलटी में नहीं जाता। एनसीएलटी एक सांविधिक प्रक्रिया है इसलिए जब आप इसमें आते हैं तो.....

प्रशांत जैन : मैं इसकी सराहना करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब आप एनसीएलटी के बाहर प्रबंधन में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप वहां अभिरूचि की अभिव्यक्ति और उसके बाद बोली प्रक्रिया इत्यादि का अनुरोध करेंगे। इसलिए मोटे तौर पर देखा जाए तो एनसीएलटी प्रक्रिया भी समान है, तो मेरा मतलब है कि यदि वह विफल रहें, अर्थात् बाहर किए गए परिवर्तन के कारण विफल हो जाए तो वो कौन से कारक हैं जो एनसीएलटी के अंतर्गत सफल हो सकते हैं?

सी.गंगोपाध्याय : यदि आप आरबीआई के फरवरी के परिपत्र को देखें, तब आपने यह देखा होगा कि चरण-I काफी लचीला है अर्थात् जहां ऋणदाता एनसीएलटी के बाहर समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसमें तीन-चार प्रकार के समाधान हो सकते हैं। पहला यह कि मैं ऋणकर्ताओं को भुगतान करने के लिए कह सकता हूँ, दूसरा, हम कोई पुनर्गठन योजना शुरू कर सकते हैं। तीसरा, प्रबंधन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए यहां कई विकल्प मौजूद हैं। इन चारों में से प्रबंधन परिवर्तन ही एक विकल्प है। तथापि जब यह एनसीएलटी में जाएगा तो प्रबंधन में परिवर्तन करना अनिवार्य होगा, इसलिए यदि आप पुनर्गठन के लचीलेपन के संदर्भ में बात करें, तो स्पष्ट है कि

एनसीएलटी केवल एक विकल्प तक ही सीमित रहेगा। जबकि एनसीएलटी के बाहर, जहां 180 दिनों की विंडो उपलब्ध है, वहां हमारे पास कुछ हद तक लचीलापन है। मैं प्रोमोटर को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ अथवा प्रोमोटर को बदले बिना भी पुनर्गठन कर सकता हूँ, इनमें से जो भी अधिक लाभकारी हो। अतः लचीलापन ज्यादा है और इसलिए ऋणदाताओं के प्रयास भी। कंसोर्शियम का पहला प्रयास 180 दिनों के भीतर ही समाधान करना होगा और ऐसा न होने पर वह एनसीएलटी में चला जाएगा। एनसीएलटी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसा मैंने बताया कि यह एक सांविधिक प्रक्रिया है और इसलिए इसे पूर्ण करने के लिए समय सीमा दी गई है। आजकल दोनों चरणों के लिए समय-सीमा दी जाती है, परंतु एनसीएलटी में सभी हितधारकों के लिए दावा किया जाएगा और इसलिए एक समाधान निकाला जाएगा। यदि कोई समाधान निकाला जाएगा और समय-सीमा भी है और जब सभी देनदारी स्पष्ट होती हैं तो एनसीएलटी में एक ऋणदाता के रूप में हमारा यह मानना है कि कटौती की मात्रा जो हम रखना चाहते हैं वह प्रथम चरण से ज्यादा होगी जहां हमारे पास कुछ हद तक लचीलापन भी पर्याप्त है।

प्रशांत जैन : मैं समझ गया और महोदय एक दूसरा प्रश्न भी है कि चार बड़ी थर्मल विद्युत परियोजनाएं और बाकी परियोजनाएं जिनका समाधान आप एनसीएलटी के बाहर चाहते हैं, वहां मेगावाट के लिए ऋण स्तर कितना है महोदय? और इससे जुड़ा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बताया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए आपको 5 ईओआई एवं 15 ईओआई मिल रहे हैं, तो महोदय क्या आप बिना नाम लिए बताएंगे कि ये किस प्रकार की कंपनियां हैं जो इन परियोजनाओं में रुचि ले रही हैं?

राजीव शर्मा : वास्तव में, मेगावाट की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए मेगावाट से ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि 7 करोड़ रुपए से 8 करोड़ रुपए तक और आईएल एवं एफएस, टोरेट पावर, अदानी, जेएसडबल्यू जैसे निवेशक हैं और कुछ निधियां भी उपलब्ध हैं।

प्रशांत जैन : और महोदय, यदि स्थापना की जाए तो आजकल नए तुलनीय पावर प्लांट की क्या कीमत है?

राजीव शर्मा : मुझे लगता है सबसे जरूरी सात करोड़ है, यहां तक कि एनटीपीसी 7.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट और 7 करोड़ रुपए से 7.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है।

प्रशांत जैन : अतः मोटे तौर पर यह ऋण वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के करीब है?

- राजीव शर्मा :** जी हाँ।
- प्रशांत जैन :** जी ठीक है। धन्यवाद महोदय।
- संचालक :** धन्यवाद। अगल प्रश्न ऊ्यूश बैंक से अभिषेक सराफ की ओर से। कृपया प्रश्न पूछें।
- अभिषेक सराफ :** मेरा ब्याज व्युत्क्रमण पर केवल एक प्रश्न है। क्योंकि इस तिमाही में निवल ब्याज मार्जिन, ब्याज व्युत्क्रमण की वजह से कम हुआ था, मेरा मतलब गिर गया था तो आगामी वर्ष के लिए इसे आप कैसे देखते हैं? और इसी मामले में जैसा की स्लाइड 23 में देखा गया की आपने निजी क्षेत्रों के ऋण को कम कर दिया है और अब यह मानक का 4125 करोड़ रुपए हैं परंतु दबावग्रस्त है जो कि निजी क्षेत्र दबाव का लगभग 10% है, अतः यह ऋण क्या है और यह किसे दिया गया है और क्या इससे आने वाले वर्ष में कुछ ब्याज व्युत्क्रमण होगा?
- राजीव शर्मा :** आरकेएम पावरजेन जहां हमारा 5000 करोड़ रुपए का एक्जोजर है - 1000 करोड़ रुपए पहले से ही मानक है और दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का साउथ-ईस्ट ट्रांसमिशन है। ये दो परियोजनाएं हैं।
- अभिषेक सराफ :** महोदय, केवल एक प्रश्न मार्जिन के संबंध में। मेरा यह प्रश्न पहले छूट गया है, मुझे लगता है पहले किसी ने मार्जिन पर यह सवाल पूछा था। अतः यदि आप बढ़ते हुए मार्जिन पर अपना मूल्यांकन दे सकें, तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि ब्याज व्युत्क्रमण जो कि इस वर्ष बढ़ा है, क्या वह अगले वर्ष कम होगा?
- राजीव शर्मा :** इस वर्ष हमारा ब्याज स्प्रेड 2.77% है और हम उम्मीद करते हैं कि इसे हम बरकरार रखेंगे और तिमाही में यह 2.65% है, अतः हम उसे भी बरकरार रखेंगे, परंतु व्यापार की मात्रा की बढ़ती जा रही है।
- एन.बी.गुप्ता :** देखिए ज्यादातर परिसंपत्तियों को पहले ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और हम इन परिसंपत्तियों में किसी भी आय का लेखांकन नहीं कर रहे हैं इसलिए आने वाले दिनों में हम किसी भी व्युत्क्रमण की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं।
- अभिषेक सराफ :** ठीक है महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।
- संचालक :** धन्यवाद। अगला प्रश्न जेफरीस से नीलांजन कर्फा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

- नीलांजन कर्फा :** मैं स्लाइड सं. 26 को देख रहा हूँ जहां हमने लगभग 8000 मेगावाट क्षमता की बात कही थी। कई मामलों में आपने यह बताया कि प्रबंधन में परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रबंधन परिवर्तन है या प्रमोटर परिवर्तन? और यदि यह प्रबंधन परिवर्तन है तब भुगतान प्रणाली में क्या बदलाव होंगे?
- पीएफसी कार्यपालक :** प्रमोटरों में कोई बदलाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम उनका पहले की तरह ही उपयोग कर रहे हैं।
- नीलांजन कर्फा :** अच्छा, क्योंकि प्रबंधन में परिवर्तन करने से परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना की वित्तीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा?
- एन.बी.गुप्ता :** प्रमोटर।
- नीलांजन कर्फा :** ये प्रमोटर ही होने चाहिए, ठीक है न महोदय?
- राजीव शर्मा :** जी हाँ।
- नीलांजन कर्फा :** अच्छा ठीक है तथा इसके जैसे ही आरएमके पावरजेन का यदि आप पुनर्गठन कर रहे हैं, तब क्या हमें उसे एनपीए में वर्गीकृत करना चाहिए या नहीं?
- राजीव शर्मा :** दरअसल उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश है कि हम उसे एनपीए घोषित नहीं कर सकते परंतु आरएमके में पहले ही 10% का प्रावधान कर रहे हैं।
- नीलांजन कर्फा :** जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद।
- संचालक :** धन्यवाद। अगल प्रश्न मोतीलाल ओसवाल सिक्कूरिटीज लिमिटेड से ध्रुव मुच्छल की ओर से। कृपया अगला प्रश्न पूछें।
- ध्रुव मुच्छल :** महोदय मैं केवल एनसीएलटी प्रक्रिया को समझना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर, यदि हमारी कोई योजना एनसीएलटी में भेजी जाती है और लेंको की तरह इसमें भी कोई अधिक रुचि नहीं होती है और अंत में उसका परिसमापन हो जाए, तब क्या

मौजूद संविदाएं समाप्त हो जाती हैं, क्या मौजूदा पीपीए समाप्त हो जाते हैं और क्या परिसंपत्तियों की कीमत गिर जाती है? या ऐसी कोई बात नहीं है?

सी.गंगोपाध्याय :

देखिए इस समय, हम इस विषय पर ज्यादा विचार नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक लेंको मामले के अलावा हमारे पास कोई और उदाहरण नहीं है। इसका कारण यह है कि हम कई मामलों का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हो सकता है कि अगले तीन महीनों में स्थिति साफ हो जाए। लेंको का उदाहरण जो आपने दिया उसे अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि एलआईटीएल सही मायने में विद्युत परियोजना नहीं था। यह वास्तव में एक संविदाकार है, एक ईपीसी संविदाकार और विद्युत परियोजनाओं का डेवलपर है, परंतु हम यहां वास्तविक विद्युत परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता में जब विद्युत परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी और इनमें से कुछ एनसीएलटी में चली जाएंगी, तब ऐसी परियोजनाओं के लिए निवेशक भी होंगे और बाज़ार में रुचि भी होगी। मेरा मानना है कि इस समय हम इतना ही कह सकते हैं।

ध्रुव मुच्छल :

ठीक है। परंतु क्या यह बात मायने रखती है कि यदि उनका परिसमापन हो जाता है तो संविदाएं समाप्त हो जाएंगी और क्या इसलिए यह ठीक रहेगा कि एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसका समाधान कर लिया जाए?

राजीव शर्मा :

मैं प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाया।

ध्रुव मुच्छल :

बात यह है कि यदि प्रक्रिया का परिसमापन हो जाए तो क्या मौजूद संविदाएं समाप्त हो जाएंगी और क्या यही एक कारण है कि हम इसे एनसीएलटी में जाने से पहले इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको एनसीएलटी में जाने में कोई रुचि नहीं है। तब क्या परियोजना परिसमाप्त हो जाएगी और संविदाएं भी समाप्त हो जाएंगी?

सी.गंगोपाध्याय :

इस समय इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि सामान्यतः पीपीए में एक समर्थकारी प्रावधान है कि यदि वह एनसीएलटी में चला जाता है तब पीपीए भी रद्द हो सकता है परंतु यह निश्चित नहीं है। कई मामलों में, पीपीए रह सकता है क्योंकि यह वास्तविक रूप में खरीददार और विक्रेता पर निर्भर करता है। यदि पीपीए डिस्कॉम के लिए काफी हद तक लाभकारी है तब मुझे नहीं लगता कि डिस्कॉम के पास पीपीए को केवल प्रबंधन में परिवर्तन की वजह से समाप्त करने के लिए कोई कारण रहेगा। अतः आप भी देखेंगे कि आने वाले वर्षों में इन सभी मामलों का

समाधान हो जाएगा, और किसी भी हालत में इन सभी परियोजनाओं के लिए एक सक्षम मानदंड है, और यदि वह इन सक्षम मानदंडों को पूरा करते हैं तब वे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।

ध्रुव मुच्छल : बिल्कुल महोदय और दूसरी बात आपने यह कही थी कि 31 अगस्त, 2018 से पहले यह सब एनसीएलटी में चले जाएंगे। तब 31 अगस्त, 2018 ही क्यों, मेरा मतलब है कि यही तारीख क्यों?

राजीव शर्मा : क्योंकि 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के अनुसार 2000 करोड़ रूपए से ज्यादा के सभी खातों का 01 मार्च, 2018 से 180 दिन की अवधि में समाधान कर लिया जाए अथवा एनसीएलटी में भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

सी.गंगोपाध्याय : उन मामलों को छोड़कर जहां परिसंपत्तियां 01 मार्च, 2018 के बाद एनपीए बनती हैं, तो उस अवधि की गिनती उसी दिन से की जाएगी।

ध्रुव मुच्छल: जी बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद। अगला प्रश्न सिस्टेमेटिक्स शेयर्स एवं स्टॉक से गौरव झावर की ओर से। कृपया प्रश्न पूछें।

गौरव झावर : महोदय इस अवसर के लिए धन्यवाद और आपको बेहतरीन परिणामों के लिए बधाई। मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि आरबीआई परिपत्र हम पर लागू नहीं होता, तो आरबीआई परिपत्र के बिना कितना लाभ हुआ होता? यदि आरबीआई परिपत्र लागू नहीं किया जाता है तो कितना लाभ होगा?

एन.बी.गुप्ता : आरबीआई परिपत्र के कारण हमने 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और लगभग 12000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को एनपीए घोषित किया है। यदि यह परिपत्र नहीं होता तो 950 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं हो पाता जो हमने किया है, इस प्रकार हमारा लाभ 1000 करोड़ रुपए तक हो जाता और कुछ आय व्युत्क्रमण भी होता।

गौरव झावर : इसका मतलब है कि कर बाद लाभ (पीएटी) लगभग 1800 करोड़ रुपए रहा होगा।

- राजीव शर्मा :** देखिए मेरे पास अभी व्युत्क्रमण आंकड़े नहीं है परंतु यह 7000 करोड़ रूपए से अधिक होना चाहिए। निश्चित रूप से 7000 करोड़ रूपए से अधिक। मैं बिल्कुल सही संख्या नहीं बता रहा हूँ इसके लिए हमें व्युत्क्रमण देखना होगा।
- गौरव झावर :** व्युत्क्रमण 950 करोड़ रूपए का है तो यह निश्चित रूप से 7000 करोड़ रूपए से अधिक होगा?
- राजीव शर्मा :** 7000 करोड़ रूपए से अधिक।
- गौरव झावर :** महोदय, जैसा कि आपका कहना है कि सरकारी कंपनी होने के कारण आपके पास निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है इसलिए लिस्टिड कंपनी होने के कारण आप हमेशा निवेशकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं?
- राजीव शर्मा :** परंतु निजी कंपनी की तरह मैं निवेशकों से अधिक संपर्क नहीं करता हूँ।
- गौरव झावर :** वास्तव में आपको निवेशकों से मिलने से कौन रोकता है, मेरा मानना है कि आपको निवेशकों से संपर्क करना चाहिए।
- राजीव शर्मा :** हम 31 मई, 2018 को मुंबई में बैठक कर रहे हैं।
- गौरव झावर :** महोदय, आपका बहुत धन्यवाद।
- राजीव शर्मा :** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
- संचालक :** आपका धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के प्रशांत जैन की ओर से। कृपया प्रश्न पूछें।
- प्रशांत जैन :** महोदय, मेरा प्रश्न नए पावर बिल के बारे में है जिसके मानसून सत्र में लाए जाने की संभावना है? इसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या हैं, पहलू क्या-क्या हैं? और आपको क्या लगता है कि यह वास्तविकता बन पाएगा मेरा कहने का मतलब है कागजों में यह काफी आकर्षक लग रहा है और-----?
- राजीव शर्मा :** मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूँ, मंत्रालय ने इस संबंध में हमसे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं मांगी है। हो सकता है राज्य विद्युत संस्थाओं से

उनके विचार पूछे गए हों, उन्होंने अपने विचार दिए हों। हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है।

प्रशांत जैन : ठीक है महोदय, आपका धन्यवाद।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला प्रश्न बी एंड के सिक्यूरिटीज के बंटी चावला की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

बंटी चावला : केवल एक प्रश्न, जैसाकि आपने कहा कि इनको एनसीएलटी में भेजा जा रहा है और कुछ को पहले ही एनसीएलटी में भेज दिया गया है। और आपके पास लगभग 31% से 32% की प्रावधान कवरेज है इसलिए क्या हम यह समझे कि ये प्रावधान 50% तक हो जाएंगे जैसा कि आरबीआई ने एनसीएलटी के अंतर्गत आने वाले बैंको को कहा है?

राजीव शर्मा : इन परियोजनाओं के लिए आरबीआई की ओर से कोई दिशानिर्देश नहीं है, इसलिए इस परिस्थिति में हम नहीं कह सकते। इसमें आईबीसी के अंतर्गत आने वाली प्रारंभिक 12 परियोजनाओं के लिए एक दिशानिर्देश है। यह हमारे लिए नहीं है परंतु 35% का प्रावधान पहले से ही उपलब्ध है।

एन.बी.गुप्ता : आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी के परिपत्र से स्पष्ट है कि आरबीआई ने एनसीएलटी मामले में अधिक प्रावधान के लिए अनुदेश जारी किए हैं और ये केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होंगे न कि नई परियोजनाओं के लिए और एनसीएलटी मामलों में हमने लगभग 38% का प्रावधान किया है।

बंटी चावला : ठीक है महोदय, तो 50% तक वृद्धि किए जाने का ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

संचालक : धन्यवाद, समय के अभाव के कारण हम अंतिम प्रश्न व्यक्तिगत निवेशक सिद्धार्थ मेहता से पूछेंगे। कृपया प्रश्न पूछें।

सिद्धार्थ मेहता : सबसे पहले मैं इन प्रयासों के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी इन मामलों के एनसीएलटी में जाने से पहले इन पर विचार कर इनका समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे होंगे जोकि कतई आसान नहीं है, इसलिए मैं प्रबंधन के कार्य की सराहना करता हूँ, क्या आप

इन पवन ऊर्जा परियोजनाओं का निधियन करेंगे और क्या आपको लगता है कि ये परियोजनाएं अगले एक, दो, तीन या चार वर्षों में व्यवहार्य परियोजनाएं बन पाएंगी?

राजीव शर्मा : आज हमारी बोर्ड बैठक हुई, जिसमें हमने 1000 करोड़ रूपए की एक पुनर्वित्तपोषण परियोजना को स्वीकृति दी है, हमारे पिछले वर्ष के 9000 करोड़ रूपए के संवितरण में, कई पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं जिनका हमने कोंटिनम और मित्राह जैसे अच्छे समूहों से पुनर्वित्तपोषण किया है। इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छी परियोजनाओं की हमेशा तलाश रहती है।

सिद्धार्थ मेहता : ठीक है। एक और प्रश्न महोदय जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न जैसा ही है और वह प्रावधान से संबंधित है कि आपका कहना है एनसीएलटी के 38% और मोटे तौर पर गैर-एनसीएलटी के लिए 30%?

राजीव शर्मा : 31%

सिद्धार्थ मेहता : एनसीएलटी के लिए 31%?

राजीव शर्मा : नहीं सभी के लिए।

सिद्धार्थ मेहता : कुल 31% है और एनसीएलटी मामलों में 38% का प्रावधान है।

राजीव शर्मा : जी हां।

सिद्धार्थ मेहता : तो आपके लिए ऐसा कोई अनुभव है कि कंपनियों के एनसीएलटी में जाने और एनसीएलटी में न जाने पर कितने प्रतिशत कटौती की संभावना है?

राजीव शर्मा : इसमें कई चरण होते हैं और विद्युत क्षेत्र में यह परियोजना- परियोजना पर निर्भर करता है। प्रत्येक परियोजना अपने आप में एक मुश्किल परियोजना होती है, इसलिए मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इसका मूल्यांकन बहुत कठिन है।

सिद्धार्थ मेहता : आपका मानना है कि लगभग 38% का प्रावधान उपयुक्त है।

राजीव शर्मा : मैं यह भी नहीं कह सकता।

सी.गंगोपाध्याय : मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जिन परियोजनाओं के लिए हम बोली लगा रहे हैं उनके प्रति काफी रुचि दिखाई दे रही है। इसलिए बाजार में इन परियोजनाओं को लेकर काफी रुचि है और इसी कारण हमारा मानना है कि स्थिति उतनी भी बेकार नहीं है जैसा कि पहले सोचा गया था। इसीलिए विद्युत परियोजनाओं को लेकर बाजार में अच्छी-खासी रुचि है।

सिद्धार्थ मेहता : ठीक है महोदय, अब अंतिम प्रश्न और जैसा कि जानते है यह प्रश्न भी आपसे संबंधित नहीं है। यह प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से संबंधित है जिनके तिमाही दर तिमाही और प्रत्येक तिमाही में एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। बैंकों का कहना है कि सबसे बुरा दौर अब समाप्त हो गया है, अतः इस बारे में आपका क्या मानना है। क्या इसका अर्थ है कि आखिरकार हम उस स्थिति में पहुँच गए है जहां सबसे बुरा दौर वास्तव में खत्म हो गया है या इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और प्रबंधन द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जा रहे है परंतु इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या हम उस स्थिति में पहुँच गए जहां हम थोड़ा-बहुत विश्वास कर सकते हैं?

राजीव शर्मा : मैं बैंकों के बारे में नहीं कह सकता। मैं केवल पीएफसी के बारे में बता सकता हूँ महोदय, जहां 2,80,000 करोड़ रूपए में से सरकारी क्षेत्र में हमारा एक्सपोजर 82% है और 7% निजी क्षेत्र में और इसमें कोई दबाव नहीं है, अतः हमारी ऋण बही का 89% बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 89% में कोई दिक्कत नहीं है और बाकी 11% में कुछ दिक्कतें है। परंतु उन 11% परियोजनाओं में से कुछ में पीपीए अच्छा है, कुछ में एफएसए भी है और इसलिए हम राज्य सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के सहयोग से इस दिशा में पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। परंतु लोकतांत्रिक समाज में समाधान ढूँढना बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 करोड़ रूपए, 20 करोड़ रूपए का एक्सपोजर रखने वाले छोटे ऋणदाताओं के कारण समाधान प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है और इसलिए आप इस बात की सराहना करेंगे कि जब आरबीआई द्वारा संयुक्त ऋणदाता मंच समाप्त कर दिया गया है और केवल हमने ही चार परियोजनाओं आरकेएम, शिगापावर जल-विद्युत परियोजना और उत्तरप्रदेश में पारेषण परियोजना और पश्चिम बंगाल में हल्दिया परियोजना को छोड़कर सभी दबावग्रस्त परियोजनाओं को एनपीए परिसंपत्ति घोषित किया है।

सिद्धार्थ मेहता : ठीक है महोदय, आने वाले वर्षों में इन मामलों का समाधान करने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं।

राजीव शर्मा : हम निवेशकों की सहायता से इन मामलों का पूरी ईमानदारी से समाधान कर रहे हैं।

सिद्धार्थ मेहता : जी हां, हम कर सकते हैं।

राजीव शर्मा : आप जैसे निवेशक हमें प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सिद्धार्थ मेहता : आपका धन्यवाद।

संचालक : यह अंतिम प्रश्न है। अब मैं समापन टिप्पणियों के लिए कॉन्फ्रेंस का संचालन श्री कुणाल शाह को सौंपता हूँ।

कुणाल शाह : सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देने और परियोजनावार विस्तृत चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के समस्त शीर्ष प्रबंधन को धन्यवाद और कॉल में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।

राजीव शर्मा : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कुणाल और सभी निवेशकों का धन्यवाद। कंपनी की प्रगति में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद।

संचालक : देवियो और सज्जनो, एडेलवीस सिक्यूरिटीज लिमिटेड की ओर से आपका धन्यवाद और अब मैं इस कॉन्फ्रेंस का समापन करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप अपनी लाइन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।